

राजस्थान वित्त विधेयक, 2018

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए राज्य सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने के लिए राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 और राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 को और संशोधित करने और कतिपय अन्य उपबंध करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम.**- इस अधिनियम का नाम राजस्थान वित्त अधिनियम, 2018 है।

2. **1958 के राजस्थान अधिनियम सं. 23 की धारा 3 के अधीन घोषणा.**- राजस्थान अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 23) की धारा 3 के अनुसरण में, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि लोकहित में यह समीचीन है कि इस विधेयक के खण्ड 4 और 6 के उपबंध उक्त अधिनियम के अधीन तुरंत प्रभावी होंगे।

अध्याय 2

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 में संशोधन

3. **1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 2 का संशोधन.**- राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14), जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में,-

(i) विद्यमान खण्ड (viii-क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(viii-क) “मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी” से राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस रूप में विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी या प्राधिकारी अभिप्रेत है;”;

(ii) विद्यमान खण्ड (x-क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(x-क) “रियायत करार” से ऐसा कोई करार अभिप्रेत है, जिसमें सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, पब्लिक सेक्टर उपक्रम या अन्य कानूनी संस्था द्वारा राज्य में स्थित अपनी किसी भी भूमि या सम्पत्ति के संबंध में ऐसी भूमि या सम्पत्ति का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक आधार पर कोई सेवा उपलब्ध कराने के लिए कोई अधिकार प्रदान किया जाना अंतर्वलित हो;”;

(iii) खण्ड (xi) के विद्यमान उप-खण्ड (iv) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(iv) कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 18) की धारा 232, 233 या 234 के अधीन या बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 10) की धारा 44-क के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश;” और

(iv) खण्ड (xxi) का विद्यमान उप-खण्ड (ग) हटाया जायेगा।

4. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 4-क का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 4-क के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“4-क. संदेय शुल्क, फीस या अधिभार या दी जाने वाली छूट में भिन्न का पूर्णांकन.- इस अधिनियम के अधीन संदेय शुल्क, अधिभार या फीस की या दी जाने वाली छूट की रकम अवधारित करने में एक रुपये की कोई भी भिन्न, जो पचास पैसे के बराबर या उससे अधिक हो, का पूर्णांकन अगले एक रुपये में किया जायेगा और पचास पैसे से कम की कोई भी भिन्न हिसाब में नहीं ली जायेगी।”।

5. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 10-क का अन्तःस्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 10 के पश्चात् और विद्यमान धारा 11 के पूर्व निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“10-क. कतिपय विभागों, संगठनों, संस्थाओं इत्यादि द्वारा स्टाम्प शुल्क का संदाय सुनिश्चित किया जाना.- (1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट

किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि राज्य सरकार का कोई विभाग, स्थानीय स्वायत्त शासन की संस्था, अर्द्ध शासकीय संगठन, बैंककारी या गैर-बैंककारी वित्तीय संस्था या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा सारवान् रूप से वित्त पोषित निकाय या उनका कोई भी वर्ग, यह सुनिश्चित करेंगे कि उनकी प्रणाली में से होकर जाने वाली या उनके कार्यकरण से संबंधित ऐसी लिखतें, जिनका रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य नहीं है और जिन्हें उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये, के संबंध में राज्य सरकार को उचित स्टाम्प शुल्क इलैक्ट्रॉनिक सरकारी प्राप्ति लेखा प्रणाली (ई-ग्रास) के माध्यम से संदत्त कर दिया गया है।

(2) महानिरीक्षक, स्टाम्प, उप-धारा (1) में यथा-उल्लिखित ऐसे विभाग या निकाय इत्यादि द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति को चालान विरूपित करने और ऐसी लिखतों पर पृष्ठांकन करने के लिए समुचित अधिकारी के रूप में प्राधिकृत करेगा।

(3) उप-धारा (2) के अधीन इस प्रकार प्राधिकृत समुचित अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह चालान विरूपित करने के पश्चात् लिखतों पर निम्नलिखित रूप में पृष्ठांकन करे:-

रसीद/चालान सं./जीआरएन सं. सीआईएन
 दिनांक द्वारा नकद/मांगदेय ड्राफ्ट/पे आर्डर/ ई-
 चालान के माध्यम से स्टाम्प शुल्क रु. संदत्त किया गया।
 कार्यालय की मुहर अधिकारी के हस्ताक्षर।

जो लागू न हो उसे काट दें।

6. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की अनुसूची का संशोधन.- मूल अधिनियम की अनुसूची में,-

(i) विद्यमान अनुच्छेद 20-क के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“**20-क.** धारा 2(x-क) द्वारा परियोजना की कुल लागत का यथापरिभाषित रियायत करार। 0.2 प्रतिशत।”;

(ii) अनुच्छेद 21 के खण्ड (iii) में विद्यमान अभिव्यक्ति “यदि किसी कंपनी के आमेलन, डीमर्जर (Demerger) या पुनर्गठन के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 1) की धारा 394

या बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 10) की धारा 44-क के अधीन किये गये आदेश से संबंधित हो” के स्थान पर अभिव्यक्ति “यदि किसी कंपनी के आमेलन, डीमर्जर (Demerger) या पुनर्गठन के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 18) की धारा 232, 233 या 234 या बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 10) की धारा 44-क के अधीन किये गये आदेश से संबंधित हो” प्रतिस्थापित की जायेगी;

(iii) अनुच्छेद 43 में,-

(क) खण्ड (1) के विद्यमान उप-खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(ग) जहां ऐसा शेयर अंशदान भागीदारी में उस भागीदार के, जो केवल स्थावर सम्पत्ति वह सम्पत्ति लेकर आया था, शेयर के रूप में किया गया के बराबर संपत्ति के भाग को अपवर्जित करते हुए, वही शुल्क जो ऐसी सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर हस्तांतरण-पत्र (सं. 21) पर लगता है।

(घ) जहां ऐसा शेयर अंशदान नकद के रूप में शेयर अंशदान के स्थावर संपत्ति और भाग पर उप-खण्ड (क) और (ख) के नकद दोनों के रूप में अनुसार और स्थावर संपत्ति के रूप में किया गया है। में शेयर अंशदान के भाग पर उप-खण्ड (ग) के अनुसार।”;

(ख) विद्यमान खण्ड (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(2) भागीदारी का विघटन,-

(क) जहां स्थावर सम्पत्ति किसी वही शुल्क जो ऐसी सम्पत्ति के भागीदार द्वारा भागीदारी बाजार मूल्य पर हस्तांतरण-पत्र के गठन के समय उसके (सं. 21) पर लगता है। शेयर अंशदान के रूप में

लायी गयी हो और विघटन पर ऐसी संपत्ति किसी अन्य भागीदार द्वारा उसके शेयर के रूप में रख ली गयी हो;

(ख) जहां स्थावर सम्पत्ति भागीदारी में उस भागीदार के, भागीदारी द्वारा उसके जो विघटन पर वह संपत्ति लेता गठन के पश्चात् अर्जित की है, शेयर के बराबर संपत्ति के गयी हो और विघटन पर भाग को अपवर्जित करते हुए, ऐसी सम्पत्ति भागीदारों के वही शुल्क जो ऐसी सम्पत्ति के मध्य वितरित की गयी हो। बाजार मूल्य पर हस्तांतरण-पत्र (सं. 21) पर लगता है।

(3) भागीदार का निवर्तन,-

(क) जहां भागीदारी के स्वामित्व वही शुल्क जो भागीदारी में में स्थावर सम्पत्ति है और निवृत्त होने वाले भागीदार या निवृत्त होने वाला भागीदार भागीदारों के शेयर के बराबर अपने निवर्तन के समय भागीदारी की स्थावर सम्पत्ति कोई स्थावर सम्पत्ति नहीं के भाग के बाजार मूल्य पर लेता है; हस्तांतरण-पत्र (सं. 21) पर लगता है।

(ख) जहां भागीदारी के स्वामित्व वही शुल्क जो ऐसी सम्पत्ति के में स्थावर सम्पत्ति है और बाजार मूल्य पर हस्तांतरण-पत्र निवृत्त होने वाला भागीदार (सं. 21) पर लगता है। अपने निवर्तन के समय वह स्थावर सम्पत्ति लेता है, जो उसके द्वारा भागीदारी के गठन के समय, उसके अंशदान के शेयर के रूप में नहीं लायी गयी थी;

(ग) जहां भागीदारी के स्वामित्व भागीदारी में निवृत्त होने वाले में स्थावर सम्पत्ति है और भागीदार के शेयर के बराबर निवृत्त होने वाला भागीदार सम्पत्ति के भाग को अपवर्जित

अपने निवर्तन के समय वह करते हुए, वही शुल्क जो ऐसी स्थावर सम्पत्ति लेता है जिसे सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर भागीदारी द्वारा उसके गठन हस्तांतरण-पत्र (सं. 21) पर के पश्चात् अर्जित किया लगता है।

गया था;

(घ) जहां भागीदारी के स्वामित्व में स्थावर सम्पत्ति है और निवृत्त होने वाला भागीदार अपने निवर्तन के समय वह स्थावर सम्पत्ति लेता है, जो उसके द्वारा भागीदारी के गठन के समय उसके अंशदान के शेयर के रूप में लायी गयी थी; पांच सौ रुपये।

(ड) जहां ऐसे भागीदार के निवर्तन के समय भागीदारी के स्वामित्व में कोई स्थावर सम्पत्ति नहीं है।

पांच सौ रुपये।

(4) किसी अन्य मामले में। पांच सौ रुपये।"; और

(iv) अनुच्छेद 48 के खण्ड (क) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "पूर्वमृत भाई का पुत्र" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "या पिता या माता" के पूर्व, अभिव्यक्ति "या माता का भाई या बहिन का पुत्र या बहिन की पुत्री" अन्तःस्थापित की जायेगी।

अध्याय 3

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 में संशोधन

7. 1951 के राजस्थान अधिनियम सं. 11 की धारा 17 का संशोधन.- राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11), जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 17 की उप-धारा (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति "और वाणिज्यिक कर विभाग का कोई भी अधिकारी जो वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा नियन्त्रित जांच चौकी पर पदस्थापित इन्सपेक्टर से नीचे के पद का न हो" के स्थान पर अभिव्यक्ति "और राज्य राजस्व

आसूचना निदेशालय का कोई भी अधिकारी जो राजस्व आसूचना अधिकारी से नीचे के पद का न हो” प्रतिस्थापित की जायेगी।

8. 1951 के राजस्थान अधिनियम सं. 11 की धारा 18 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 18 में विद्यमान अभिव्यक्ति “जो सब-इन्सपेक्टर से नीचे के पद का न हो” के पश्चात् और अभिव्यक्ति “,इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ” के पूर्व अभिव्यक्ति “और राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय का कोई भी अधिकारी जो राजस्व आसूचना अधिकारी से नीचे के पद का न हो” अन्तःस्थापित की जायेगी।

उद्देश्यों और कारणों का कथन
राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 2 का खण्ड (viii-क) मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी को परिभाषित करता है। परिभाषा के अनुसार वर्तमान में, राजस्थान कर बोर्ड मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी है। मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी की परिभाषा को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है ताकि राज्य सरकार को, जब कभी अपेक्षित हो, किसी भी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी को, मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट करने के लिए सशक्त किया जा सके।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 2 के खण्ड (X-क) के अधीन दी गयी "रियायत करार" की वर्तमान परिभाषा समरूप प्रकृति के कतिपय संव्यवहारों को समाविष्ट नहीं करती। रियायत करार के समरूप प्रकृति के ऐसे संव्यवहारों को समाविष्ट करने वाली उन समस्त लिखतों को स्टाम्प शुल्क की परिधि में लाने के लिए, रियायत करार की परिभाषा को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

कम्पनियों के आमेलन, डीमर्जर या पुनर्गठन के संबंध में पारित किये गये आदेश राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 2 के खण्ड (xi) के उप-खण्ड (iv) के अधीन हस्तांतरण-पत्र की परिभाषा के अधीन आते हैं और तदनुसार, ऐसे आदेशों पर उक्त अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 21 के खण्ड (iii) के अधीन स्टाम्प शुल्क संदेय है। चूंकि कम्पनियों के समझौतों, ठहरावों और आमेलनों के संबंध में, कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 18) के अध्याय 15 को केन्द्रीय सरकार द्वारा दिनांक 15.12.2016 से अधिसूचित किया जा चुका है और इस विषय से संबंधित कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 1) के पुराने उपबंधों को प्रतिस्थापित किया जा चुका है, अतः कम्पनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों को सम्मिलित करने के लिए धारा 2 के खण्ड (xi) के विद्यमान उप-खण्ड (iv) और अनुच्छेद 21 के खण्ड (iii) को यथोचित रूप से संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

वर्तमान में, ऐसी लिखतें, जिनके द्वारा किसी प्रकार के पथ-कर पट्टे पर उठाये जाते हैं, राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 2 के खण्ड (xxi) में यथापरिभाषित 'पट्टा' के अधीन आती हैं। ये लिखतें उक्त अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (x-क) के अधीन रियायत करार की पुनरीक्षित परिभाषा के अधीन समाविष्ट की जा रही हैं। इसलिए ऐसी लिखतों, जिनके द्वारा किसी प्रकार के पथ-कर पट्टे पर उठाये जाते हैं, के संबंध में धारा 2 के खण्ड (xxi) के उप-खण्ड (ग) को हटाया जाना प्रस्तावित है।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 4-क के वर्तमान उपबंध, उक्त अधिनियम के अधीन संदेय शुल्क, फीस या अधिभार या दी जाने वाली छूटों में दस रुपये की भिन्न, जो पचास पैसे के बराबर या उससे अधिक हो, का पूर्णांकन अगले दस रुपये में करने के लिए, प्रावधान करते हैं। एक रुपये की ऐसी कोई भी भिन्न जो 50 पैसे के बराबर या उससे अधिक हो, का पूर्णांकन अगले एक रुपये में किया जाना प्रस्तावित है। अतः संशोधन प्रस्तुत है।

ऐसी लिखतों पर, जिनका रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य नहीं है, स्टाम्प शुल्क के संदाय को सुनिश्चित करने की दृष्टि से, राज्य सरकार के विभागों, स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं, अर्द्ध शासकीय संगठनों, बैंककारी और गैर-बैंककारी वित्तीय संस्थाओं या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा सारवान् रूप से वित्त पोषित निकायों पर, ऐसी लिखतों पर, जो उनकी प्रणाली में से होकर जाती हैं या जो उनके कार्यकरण से संबंधित हैं, ई-ग्रास के माध्यम से स्टाम्प शुल्क वसूल करने का कर्तव्य अधिरोपित करने के लिए और प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ई-ग्रास चालान विरूपित करने और ऐसी लिखत पर पृष्ठांकन करने के लिए भी उपबंध किये जाने हेतु एक नई धारा 10-क जोड़ी जानी प्रस्तावित है।

वर्तमान में, रियायत करारों पर स्टाम्प शुल्क, करार में अंतर्वलित पूंजी निवेश के आधार पर उद्ग्रहणीय है और पूंजी निवेश के भिन्न-भिन्न स्तरों के लिए स्टाम्प शुल्क की भिन्न-भिन्न दरें लागू हैं। स्टाम्प शुल्क के उद्ग्रहण को सरल बनाने के लिए राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद 20-क को

संशोधित किया जाना प्रस्तावित है ताकि ये उपबंध किया जा सके कि रियायत करार पर स्टाम्प शुल्क, करार में अंतर्वलित परियोजना की कुल लागत के 0.2 प्रतिशत की दर से संदेय हो।

भागीदारी के गठन या विघटन की और भागीदारी से भागीदार के निर्वतन की प्रक्रिया में स्थावर संपत्ति का अन्तरण, भागीदारों द्वारा शेयर अंशदान या उनको शेयर वितरण के रूप में होता है। विद्यमान उपबंधों को अधिक स्पष्ट बनाने की दृष्टि से और भागीदारी के ऐसे गठन या विघटन में या भागीदार के निर्वतन में अन्तर्वलित सम्पत्ति के अन्तरण पर स्टाम्प शुल्क उद्गृहीत करने के लिए राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद 43 के उपबंधों को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

वर्तमान में, राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद 48 में उल्लिखित कौटुम्बिक सदस्यों के द्वारा और उनके पक्ष में निष्पादित पैतृक सम्पत्ति के निर्मुक्ति विलेख पर स्टाम्प शुल्क की रियायती दर लागू है। यह प्रस्तावित है कि कौटुम्बिक सदस्यों की सूची में माता का भाई, बहिन का पुत्र और बहिन की पुत्री को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए ताकि उनके द्वारा या उनके पक्ष में निष्पादित पैतृक सम्पत्ति के निर्मुक्ति विलेख पर भी स्टाम्प शुल्क में राहत दी जा सके।

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 17 की उप-धारा(1) राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों को उनका स्वयं का यह समाधान करने के लिए किसी मोटर यान को रोकने के लिए सशक्त करती है कि उस यान के संबंध में उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार देय कर की रकम संदत्त की जा चुकी है। अब यह प्रस्तावित है कि राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय के राजस्व आसूचना अधिकारी से अनिम्न रैंक के अधिकारियों को भी इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किया जाये ताकि कर की दक्षतापूर्वक वसूली सुनिश्चित की जा सके। जांच चौकियों पर पदस्थापित वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारी भी उक्त अधिनियम की

धारा 17 की उप-धारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त हैं। चूंकि, वाणिज्यिक कर विभाग ने जांच चौकियां हटा ली हैं, इसलिए धारा 17 में वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों का संदर्भ अनावश्यक है। इसलिये यह संदर्भ हटाया जाना प्रस्तावित है।

उक्त अधिनियम की धारा 18, परिवहन विभाग के उप-निरीक्षक से अनिम्न रैंक के अधिकारियों को किसी भी परिसर में, जब यह विश्वास करने का कारण हो कि इस अधिनियम के उल्लंघन में किसी मोटर यान को रखा गया है, सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच किसी भी समय प्रवेश करने के लिए सशक्त करती है। अब यह प्रस्तावित है कि राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय के ऐसे अधिकारियों को जो राजस्व आसूचना अधिकारी से अनिम्न रैंक के हों, को भी ऐसे परिसरों में प्रवेश करने के लिए प्राधिकृत किया जाये जिससे कि वे इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का पालन कर सकें।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

वसुन्धरा राजे,
प्रभारी मंत्री।

**संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल
महोदय की सिफारिश**

[सं.प.12(5)वित्त/कर/2018 दिनांक 12.02.2018

**प्रेषक: श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री, प्रेषिती: सचिव, राजस्थान
विधान सभा, जयपुर]**

राजस्थान के राज्यपाल महोदय ने राजस्थान वित्त विधेयक, 2018 की विषयवस्तु से अवगत होने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) के अधीन उक्त विधेयक को राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित और प्रचालित किये जाने और विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश की है।

1. राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) से लिये गये

उद्धरण

XX XX XX XX

2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो,-

(i) से (viii) XX XX XX

(viii-क) "मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी" से राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4), की धारा 88 के अधीन गठित राजस्थान कर बोर्ड अभिप्रेत है;

(ix) से (x) XX XX XX

(x-क) "रियायत करार" से ऐसा कोई करार अभिप्रेत है जिसमें राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, पब्लिक सेक्टर उपक्रम या अन्य कानूनी संस्था द्वारा अधिकारों, भूमि या सम्पत्ति का, कतिपय शर्तों के अध्याधीन, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या, यथास्थिति, किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम की ऐसी आस्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्यिक आधार पर कोई सेवा उपलब्ध कराने के लिए, प्रदान किया जाना अंतर्वर्तित हो;

(xi) "हस्तांतरण-पत्र" के अंतर्गत,-

(i) से (iii) XX XX XX

(iv) कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 1) की धारा 394 के अधीन और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 10) की धारा 44-क के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश,

(v) से (vi) XX XX XX

(xii) से (xx) XX XX XX

(xxi) "पट्टा" से सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 (1882 का अधिनियम सं. 4) की धारा 105 में यथा-परिभाषित कोई पट्टा, स्थावर सम्पत्ति या जंगम सम्पत्ति या दोनों का कोई पट्टा अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत है,-

(क) से (ख) XX XX XX

(ग) कोई लिखत जिसके द्वारा किसी प्रकार के पथ-कर पट्टे पर उठाये जाते हैं,

(घ) से (च) XX XX XX
 (xxi-क) से (xxxvii) XX XX XX
 3. से 4. XX XX XX

4-क. संदेय शुल्क, फीस या अधिभार या दी जाने वाली छूट में भिन्न का पूर्णांकन.- इस अधिनियम के अधीन संदेय शुल्क, अधिभार या फीस की या दी जाने वाली छूट की रकम अवधारित करने में 10 रुपये की कोई भी भिन्न, जो 50 पैसे के बराबर या उससे अधिक हो, का पूर्णांकन अगले 10 रुपये में किया जायेगा और 50 पैसे से कम की कोई भी भिन्न हिसाब में नहीं ली जायेगी।

5. से 91. XX XX XX
 XX XX XX XX

अनुसूची
 (धारा 3 देखिए)

लिखतों का वर्णन		उचित स्टाम्प शुल्क	
1		2	
1. से 20.	XX	XX	XX
20-क. धारा 2(x-क) द्वारा		(i) 2 लाख रुपये, जहां कुल पूंजी निवेश यथापरिभाषित रियायत करार	10 करोड़ रुपये तक हो;
स्पष्टीकरण.-		(ii) 10 लाख रुपये, जहां कुल पूंजी इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध निवेश 10 करोड़ रुपये तक है किन्तु 50 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए करोड़ रुपये से अधिक न हो;	
भी, राजस्थान वित्त अधिनियम, 2014 (2014 का अधिनियम सं. 14) के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व निष्पादित		(iii) 40 लाख रुपये, जहां कुल पूंजी निवेश 50 करोड़ रुपये से अधिक है किन्तु 200 करोड़ रुपये से अधिक न हो;	
रियायत करार, इस अनुच्छेद के अधीन प्रभार्य होगा और ऐसे प्रारम्भ के तीस दिवस के भीतर-भीतर स्टाम्पित किया जायेगा।		(iv) 1 करोड़ रुपये, जहां कुल पूंजी निवेश 200 करोड़ रुपये से अधिक है किन्तु 500 करोड़ रुपये से अधिक न हो;	
		(v) 2 करोड़ रुपये, जहां कुल पूंजी निवेश 500 करोड़ रुपये से अधिक है किन्तु 1000 करोड़ रुपये से अधिक न हो;	

- (vi) 5 करोड़ रुपये, जहां कुल पूंजी निवेश 1000 करोड़ रुपये से अधिक है किन्तु 2500 करोड़ रुपये से अधिक न हो;
- (vii) 10 करोड़ रुपये, जहां कुल पूंजी निवेश 2500 करोड़ रुपये से अधिक हो।

21. धारा 2(xi) द्वारा यथा-परिभाषित हस्तान्तरण-पत्र,-

(i) से (ii) XX
 (iii) यदि किसी कंपनी के आमेलन, डीमर्जर (Demerger) या पुनर्गठन के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 1) की धारा 394 या बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 10) की धारा 44-क के अधीन किये गये आदेश से संबंधित हो,-

XX XX XX
 अधिकतम पच्चीस करोड़ रुपये के अध्यक्षीन रहते हुए-

- (i) ऐसे समामेलन, डीमर्जर या पुनर्गठन के बदले में या अन्यथा जारी या आबंटित या रद्द किये गये शेयर के बाजार मूल्य या ऐसे शेयरों के अंकित मूल्य, जो भी अधिक हो, में समाविष्ट कुल रकम और संदत्त प्रतिफल की रकम, यदि कोई हो, के चार प्रतिशत के बराबर कोई रकम, या
- (ii) अंतरक कंपनी की राजस्थान राज्य में स्थित स्थावर सम्पत्ति के बाजार मूल्य के चार प्रतिशत के बराबर कोई रकम, जो भी अधिक हो।

(iv) XX XX XX

22. से 42. XX XX XX

43. भागीदारी.-

(1) भागीदारी की लिखत,-

- (क) जहां भागीदारी में कोई शेयर अंशदान नहीं है या जहां नकद के रूप में किया गया ऐसा शेयर अंशदान पचास हजार रुपये से अनधिक है; दो हजार रुपये।

(ख) जहां नकद के रूप में किया गया ऐसा शेयर अंशदान पचास हजार रुपये से अधिक है, प्रत्येक पचास हजार रुपये या उसके भाग के लिए; दस हजार रुपये के अधिकतम शुल्क के अध्यक्षीन रहते हुए, दो हजार रुपये।

(ग) जहां, ऐसा शेयर अंशदान स्थावर संपत्ति के रूप में किया गया है। वही शुल्क जो ऐसी संपत्ति के बाजार मूल्य पर हस्तांतरण-पत्र (सं. 21) पर लगता है।

(2) भागीदारी का विघटन या भागीदार का निवर्तन,-

(क) जहां भागीदारी के विघटन पर या भागीदार के निवर्तन पर कोई संपत्ति उस भागीदार, जो उस संपत्ति को भागीदारी में उसके अंशदान के शेयर के रूप में लाया था, से भिन्न किसी अन्य भागीदार द्वारा उसके शेयर के रूप में रख ली जाती है; एक सौ रुपये न्यूनतम के अध्यक्षीन वही शुल्क जो ऐसी सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर हस्तांतरण-पत्र (सं. 21) पर लगता है।

(ख) किसी अन्य मामले में। पांच सौ रुपये।

44. से 47. XX XX XX

48. निर्मुक्ति अर्थात् कोई लिखत जो ऐसी निर्मुक्ति नहीं है जिसके लिए धारा 26(2) द्वारा उपबंध किया गया है जिसके द्वारा कोई सह-स्वामी, सह-अंशधारी या सहदायिक अपना हित, अंश, भाग या दावा अन्य सहस्वामी, सह-अंशधारी या सहदायिक के पक्ष में त्याग देता है,-

(क) यदि किसी पैतृक सम्पत्ति या उसके किसी भाग का निर्मुक्ति विलेख, भाई या बहिन (त्यागने वाले के माता-पिता त्यागे गये शेयर, हित, भाग या दावे के बाजार मूल्य के बराबर रकम का 1.5

के बच्चे) या पुत्र या पुत्री या पूर्वमृत प्रतिशत।
 पुत्र का पुत्र या पूर्वमृत पुत्र की पुत्री
 या पिता की बहिन या पूर्वमृत भाई
 का पुत्र या पिता या माता या त्यागने
 वाले की पत्नी या पति के द्वारा या
 उनके पक्ष में निष्पादित किया जाये।

(ख)	XX	XX	XX
49. से 58.	XX	XX	XX
XX	XX	XX	XX

**2. राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11)
 से लिये गये उद्धरण**

XX	XX	XX	XX
----	----	----	----

17. मोटर यान रोकने की शक्ति.- (1) कोई भी वर्दीदारी पुलिस अधिकारी, जो उस पद से नीचे का नहीं हो, जो विहित किया जाय और परिवहन विभाग का कोई भी अधिकारी जो सब-इन्सपेक्टर से नीचे के पद का न हो और वाणिज्यिक कर विभाग का कोई भी अधिकारी जो वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा नियन्त्रित जांच चौकी पर पदस्थापित इन्सपेक्टर से नीचे के पद का न हो, किसी भी सार्वजनिक स्थान में किसी भी मोटर यान के चालक से उस यान को रोकने की अपेक्षा कर सकता है और उसे उस समय तक खड़ा रखवा सकता है जब तक स्वयं का समाधान करने के प्रयोजनार्थ युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हो कि उक्त यान के संबंध में इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार देय कर की रकम संदत्त की जा चुकी है।

(2) से (4)	XX	XX	XX
XX	XX	XX	XX

18. प्रवेश की शक्ति.- परिवहन विभाग का कोई भी अधिकारी, जो सब-इन्सपेक्टर से नीचे के पद का न हो, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ, सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच किसी भी समय ऐसे किसी भी परिसर में प्रवेश कर सकता है जहां उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि कोई मोटर यान इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए रखा गया है।

XX	XX	XX	XX
----	----	----	----

(Authorised English Version)

THE RAJASTHAN FINANCE BILL, 2018
(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Stamp Act, 1998 and the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951, in order to give effect to the financial proposals of the State Government for financial year 2018-19 and to make certain other provisions.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-ninth Year of the Republic of India, as follows:-

CHAPTER I
PRELIMINARY

1. Short title.- This Act may be called the Rajasthan Finance Act, 2018.

2. Declaration under section 3, Rajasthan Act No. 23 of 1958.- In pursuance of section 3 of the Rajasthan Provisional Collection of Taxes Act, 1958 (Act No. 23 of 1958) it is hereby declared that it is expedient in the public interest that provisions of clauses 4 and 6 of this Bill shall have immediate effect under the said Act.

CHAPTER II

AMENDMENT IN THE RAJASTHAN STAMP ACT, 1998

3. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In section 2 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act,-

(i) for the existing clause (viii-A), the following shall be substituted, namely:-

"(viii-a) "Chief Controlling Revenue Authority" means an officer or authority specified as such by the State Government by notification in the Official Gazette;"

(ii) for the existing clause (x-a), the following shall be substituted, namely:-

"(x-a) "Concession agreement" means an agreement involving grant of any right by the Government, local authority, public sector undertaking or other statutory entity in respect of any of its land or property situated in the State, to provide some service on commercial basis using such land or property;"

(iii) for the existing sub-clause (iv) of clause (xi), the following shall be substituted, namely:-

"(iv) every order made under sections 232, 233 or 234 of the Companies Act, 2013 (Central Act No. 18 of 2013) or section 44-A of the Banking Regulation Act, 1949 (Central Act No. 10 of 1949)," and

(iv) the existing sub-clause (c) of clause (xxi) shall be deleted.

4. Amendment of section 4-A, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- For the existing section 4-A of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"4-A. Rounding off of fractions in duty, fee or surcharge payable or allowances to be made.- In determining the amount of duty, surcharge or fee payable, or of the allowances to be made, under this Act, any fraction of one rupee, equal to or exceeding fifty paise shall be rounded off to the next one rupee, and any fraction of less than fifty paise shall be disregarded."

5. Insertion of section 10-A, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- After the existing section 10 and before the existing section 11 of the principal Act, the following shall be inserted, namely:-

"10-A. Certain departments, organisations, institutions etc., to ensure payment of stamp duty.- (1) Notwithstanding anything contained in this Act, the State Government may, by notification in the Official Gazette, direct that any department of the State Government, institution of Local Self-Government, Semi-Government organization, banking or non-banking financial institution or the body owned, controlled or substantially financed by the State Government or any class of them, shall ensure that the proper stamp duty is paid to the State Government through electronic Government Receipt Accounting System (e-GRAS) in respect of such instruments, as may be specified in the notification, passing through their system or related to their functioning of which registration is not compulsory.

(2) The Inspector General of Stamps shall authorise a person nominated by such department or body, etc. as mentioned in sub-section (1) as a proper officer for defacing the challan and making the endorsement on such instruments.

(3) It shall be the duty of the proper officer so authorised under sub-section (2) to make an endorsement on the instruments after defacing the challan, as follows:-

Stamp duty of Rs. _____ paid in *cash/by demand draft/by pay order/ e-Challan vide Receipt/Challan No. _____/GRN No. _____
CIN _____ dated the _____.

Seal of the Office.

Signature of the Officer.

*Strike out whatever is not applicable.".

6. Amendment of the Schedule, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In the Schedule of the principal Act,-

(i) for the existing Article 20-A, the following shall be substituted, namely:-

"20-A. Concession agreement 0.2 percent of the total
as defined by section 2(x-a). project cost.";

(ii) in clause (iii) of Article 21, for the existing expression "if relating to the order under section 394 of the Companies Act, 1956 (Central Act No. 1 of 1956) or section 44-A of the Banking Regulation Act, 1949 (Central Act No. 10 of 1949) in respect of amalgamation, demerger or reconstruction of a company", the expression "if relating to the order under sections 232, 233 or 234 of the Companies Act, 2013 (Central Act No. 18 of 2013) or section 44-A of the Banking Regulation Act, 1949 (Central Act No. 10 of 1949) in respect of amalgamation, demerger or reconstruction of a company" shall be substituted;

(iii) in Article 43,-

(a) for the existing sub-clause (c) of clause (1), the following shall be substituted, namely:-

"(c) where such share contribution is brought in by way of only immovable property; The same duty as on Conveyance (No. 21) on the market value of such property excluding the part of the property equal to the share of the partner in partnership who brought that property.

- (d) where such share contribution is brought in by way of both immovable property and cash. As per sub-clauses (a) and (b) on the part of share contribution in the form of cash and as per sub-clause (c) on the part of share contribution in the form of immovable property.";
- (b) for the existing clause (2), the following shall be substituted, namely:-
- "(2) Dissolution of partnership,-
- (a) where the immovable property is brought in by any partner as his share contribution at the time of constitution of the partnership and such property is taken by any other partner as his share on dissolution; The same duty as on Conveyance (No. 21) on the market value of such property.
- (b) where immovable property is acquired by the partnership after its constitution and such property is distributed among the partners on dissolution. The same duty as on Conveyance (No. 21) on the market value of such property excluding the part of the property equal to the share of the partner in partnership who takes that property on dissolution.
- (3) Retirement of partner,-
- (a) where the partnership owns immovable property and the retiring partner takes no immovable property at the time of his retirement; The same duty as on Conveyance (No. 21) on the market value of the part of the immovable property of the partnership equal to the share of the retiring partner or partners in the partnership.
- (b) where the partnership owns immovable property and the retiring partner takes the immovable property at the time of his retirement which was not brought in by him as

his share of contribution at the time of constitution of the partnership;

- (c) where the partnership owns immovable property and the retiring partner takes the immovable property at the time of his retirement which was acquired by partnership after its constitution; The same duty as on Conveyance (No. 21) on the market value of such property excluding the part of the property equal to the share of the retiring partner in partnership.
- (d) where the partnership owns immovable property and the retiring partner takes the immovable property at the time of his retirement which was brought in by him as his share of contribution at the time of constitution of the partnership; Five hundred rupees.
- (e) where the partnership does not own any immovable property at the time of retirement of such partner. Five hundred rupees.
- (4) in any other case. Five hundred rupees."; and

- (iv) in clause (a) of Article 48, after the existing expression "son of predeceased brother" and before the existing expression "or father or mother", the expression "or mother's brother or sister's son or sister's daughter" shall be inserted.

CHAPTER III

AMENDMENT IN THE RAJASTHAN MOTOR VEHICLES TAXATION ACT, 1951

7. Amendment of section 17, Rajasthan Act No. 11 of 1951.- In subsection (1) of section 17 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, for the existing expression "and any officer of the Commercial Taxes

Department not below the rank of an Inspector posted at the check posts controlled by the Commercial Taxes Department”, the expression “and any officer of the State Directorate of Revenue Intelligence not below the rank of Revenue Intelligence Officer” shall be substituted.

8. Amendment of section 18, Rajasthan Act No. 11 of 1951.- In section 18 of the principal Act, after the existing expression “Sub-Inspector” and before the existing expression “may for the purposes”, the expression “and any officer of the State Directorate of Revenue Intelligence not below the rank of Revenue Intelligence Officer” shall be inserted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS THE RAJASTHAN STAMP ACT, 1998

Clause (viii-A) of section 2 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 defines Chief Controlling Revenue Authority. As per definition presently Rajasthan Tax Board is Chief Controlling Revenue Authority. The definition of Chief Controlling Revenue Authority is proposed to be amended so as to empower the State Government to specify any other officer or authority as Chief Controlling Revenue Authority, as and when required.

Present definition of "Concession agreement" given under clause (x-a) of section 2 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 does not cover certain transactions of similar nature. In order to bring all the instruments covering transactions similar to that of Concession agreement in the ambit of stamp duty, the definition of Concession agreement is proposed to be amended.

Orders passed in respect of amalgamation, demerger or reconstruction of companies come under the definition of conveyance under sub-clause (iv) of clause (xi) of section 2 of Rajasthan Stamp Act, 1998 and accordingly stamp duty is payable under clause (iii) of Article 21 of the Schedule to the said Act on such orders. As the Chapter XV of the Companies Act, 2013 (Central Act No. 18 of 2013) relating to compromises, arrangements and amalgamations of companies has been notified by the Central Government with effect from 15.12.2016 and old provisions of the Companies Act, 1956 (Central Act No. 1 of 1956) relating to this subject has been replaced, hence the existing sub-clause (iv) of clause (xi) of section 2 and clause (iii) of Article 21 are proposed to be amended suitably to incorporate the provisions of the Companies Act, 2013.

Presently instruments by which tolls of any description are let, fall under the 'Lease' as defined in clause (xxi) of section 2 of the Rajasthan Stamp Act, 1998. These instruments are being covered under the revised definition of Concession agreement under clause (x-a) of section 2 of the said Act. Therefore, sub-clause (c) of clause (xxi) of section 2 relating to instruments by which tolls of any description are let is proposed to be deleted.

Present provisions of section 4-A of the Rajasthan Stamp Act, 1998 relating to rounding off of the fraction in duty, fee or surcharge payable or allowances to be made under the said Act provide for rounding off any fraction of 10 rupees, equal to or exceeding 50 paise to next ten rupees. It is proposed to

round off any fraction of one rupee, equal to or exceeding 50 paise to next one rupee. Hence the amendment.

With a view to ensure payment of stamp duty on the instruments, registration of which is not compulsory, a new section 10-A is proposed to be added to cast a duty on Departments of State Government, institutions of Local Self-Government, Semi-Government organizations, banking or non-banking financial institutions or the bodies owned, controlled or substantially financed by the State Government to recover stamp duty on such instruments passing through their system or related to their functioning through e-GRAS and also to make provision for defacing the e-GRAS challan and making endorsement on such instrument by an authorised officer.

At present, stamp duty on Concession agreements is leviable on the basis of capital investment involved in the agreement and different rates of stamp duty are applicable for different slabs of the capital investment. In order to simplify the levy of stamp duty, Article 20-A of the Schedule to the Rajasthan Stamp Act, 1998 is proposed to be amended so as to provide that the stamp duty on Concession agreement shall be payable at the rate of 0.2 percent of the total project cost involving in the agreement.

In the process of constitution or dissolution of partnership and retirement of partner from the partnership, transfer of immovable property takes place by way of share contribution by, or share distribution to, the partners. With a view to make the existing provisions more explicit and to levy the stamp duty on transfer of property involved in such constitution or dissolution of partnership or in retirement of partner, provisions of Article 43 of the Schedule to the Rajasthan Stamp Act, 1998 is proposed to be amended.

At present concessional rate of stamp duty is applicable on release deed of ancestral property executed by and in favour of family members mentioned in Article 48 of the Schedule to the Rajasthan Stamp Act, 1998. It is proposed that mother's brother, sister's son and sister's daughter should also be included in the list of family members so as to provide relief in stamp duty also on release deed of ancestral property executed by or in favour of them.

THE RAJASTHAN MOTOR VEHICLES TAXATION ACT, 1951

Sub-section (1) of section 17 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 empowers officers of various Departments of State Government to

stop a motor vehicle in order to satisfy himself that amount of tax due in accordance with provisions of the said Act in respect of that vehicle has been paid. Now it is proposed that the officers not below the rank of Revenue Intelligence Officer of the State Directorate of Revenue Intelligence may also be authorised for this purpose so as to ensure efficient recovery of tax. The officers of Commercial Taxes Department posted at check-posts are also empowered to exercise the powers under sub-section (1) of section 17 of the said Act. Since the Commercial Taxes Department has removed check posts, the reference of the officers of Commercial Taxes Department in section 17 is redundant. Therefore this reference is proposed to be removed.

Section 18 of the said Act empowers the officers of Transport Department not below the rank of Sub-Inspector to enter at any time between sun-rise and sun-set at any premises when there is reason to believe that a motor vehicle is kept in contravention of this Act. Now, it is proposed that the officers not below the rank of Revenue Intelligence Officer of the State Directorate of Revenue Intelligence may also be authorised to make entry in such premises so as to carry out their functions under this Act.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

वसुन्धरा राजे,
Minister Incharge.

**संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल
महोदय की सिफारिश**

[सं.प.12(5)वित्त/कर/2018 दिनांक 12.02.2018

**प्रेषक: श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री, प्रेषिती: सचिव, राजस्थान विधान
सभा, जयपुर]**

राजस्थान के राज्यपाल महोदय ने राजस्थान वित्त विधेयक, 2018 की विषयवस्तु से अवगत होने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) के अधीन उक्त विधेयक को राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित और प्रचालित किये जाने और विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश की है।

rupees, equal to or exceeding 50 paise shall be rounded off to next 10 rupees, and any fractions of less than 50 paise shall be disregarded.

5. to 91. XX XX XX
XX XX XX XX

THE SCHEDULE

(See Section 3)

Description of Instrument	Proper Stamp Duty
1	2
<p>1. to 20. XX</p> <p>20-A. Concession agreement as defined by section 2(x-a).</p> <p>Explanation.- Notwithstanding anything contained in any other provision of this Act, a concession agreement executed prior to the date of commencement of the Rajasthan Finance Act, 2014 (Act No. 14 of 2014), shall be chargeable under this Article and shall be stamped within 30 days of such commencement.</p> <p>21. Conveyance as defined by section 2 (xi),-</p>	<p style="text-align: center;">XX</p> <p>(i) Rupees 2 lacs, where the total capital investment is upto rupees 10 crore;</p> <p>(ii) Rupees 10 lacs, where the total capital investment exceeds rupees 10 crore but does not exceed rupees 50 crore;</p> <p>(iii) Rupees 40 lacs, where the total capital investment exceeds rupees 50 crore but does not exceed rupees 200 crore;</p> <p>(iv) Rupees 1 crore, where the total capital investment exceeds rupees 200 crore but does not exceed rupees 500 crore;</p> <p>(v) Rupees 2 crore, where the total capital investment exceeds rupees 500 crore but does not exceed rupees 1000 crore;</p> <p>(vi) Rupees 5 crore, where the total capital investment exceeds rupees 1000 crore but does not exceed rupees 2500 crore; and</p> <p>(vii) Rupees 10 crore, where the total capital investment exceeds rupees 2500 crore.</p>

(i) to (ii)	XX	XX	XX
(iii) if relating to the order under section 394 of the Companies Act, 1956 (Central Act No. 1 of 1956) or section 44-A of the Banking Regulation Act, 1949 (Central Act No. 10 of 1949) in respect of amalgamation, demerger or reconstruction of a company.		Subject to a maximum of twenty five crores rupees-	
		(i) an amount equal to four percent of the aggregate amount comprising of the market value of share issued or allotted or cancelled in exchange of or otherwise, or on the face value of such shares, whichever is higher and the amount of consideration, if any, paid for such amalgamation, demerger or reconstruction, or	
		(ii) an amount equal to four percent of the market value of the immovable property situated in the State of Rajasthan of the transferor company,	
		whichever is higher.	
(iv)	XX	XX	XX
22. to 42.	XX	XX	XX

43. Partnership-

(1) Instrument of partnership,-

- | | |
|--|---|
| (a) where there is no share contribution in partnership or where such share contribution brought in by way of cash does not exceed Rs. 50,000/-; | Two thousand rupees. |
| (b) where such share contribution brought in by way of cash is in excess of Rs. 50,000/-, for every Rs.50,000/- or part thereof; | Two thousand rupees, subject to maximum duty of rupees ten thousand. |
| (c) where such share contribution is brought in by way of immovable property. | The same duty as on Conveyance (No. 21) on the market value of such property. |

(2) Dissolution of partnership or retirement of partner,-

- (a) where on a dissolution of the partnership

or on retirement of a partner any property is taken as his share by a partner other than a partner who brought in that property as his share of contribution in the partnership;

The same duty as on Conveyance (No. 21) on the market value of such property, subject to a minimum of rupees one hundred.

(b) in any other case.

Five hundred rupees.

44. to 47. XX

XX

XX

48. **Release**, that is to say any instrument, not being such a release as is provided for by section 26(2), whereby a co-owner, co-sharer or co-parcener renounces his interest, share, part or claim in favour of another co-owner, co-sharer or co-parcener,-

(a) If the release deed of an ancestral property or part thereof is executed by or in favour of brother or sister (children of renouncer's parents) or son or daughter or son of predeceased son or daughter of a predeceased son or father's sister or son of predeceased brother or father or mother or spouse of the renouncer.

1.5 percent of the amount equal to the market value of the share, interest, part or claim renounced.

(b) XX

XX

XX

49. to 58. XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

2. EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN MOTOR VEHICLES TAXATION ACT, 1951 (Act No. 11 of 1951)

XX

XX

XX

XX

17. Power to stop a motor vehicle.- (1) Any police officer in uniform not below such rank, as may be prescribed and any officer of the Transport Department not below the rank of a Sub-Inspector and any officer of the Commercial Taxes Department not below the rank of an Inspector posted at the check posts controlled by the Commercial Taxes Department may require the driver of any motor vehicle in any public place to stop the vehicle and cause it to remain stationary so long as may reasonably be necessary for the purpose of

satisfying himself that the amount of the tax due in accordance with the provisions of this Act in respect of such vehicle has been paid.

(2) to (4) XX XX XX

XX XX XX XX

18. Power of entry.- Any officer of the Transport Department not below the rank of a Sub-Inspector may for the purposes of this Act, enter at any time between sun-rise and sun-set, any premises where he has reason to believe that a motor vehicle is kept, in contravention of the provisions of this Act.

XX XX XX XX